फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ (राज0)

1 रविन्द्र कुमार आदि बनाम भंवरी देवी आदि मु.न. 077/2024

2 जगनदीप बनाम रविन्द्र आदि मु.न. 132/2024

किस्म मुकदमा 212 आर.टी.ए.

उपस्थितः– अधिवक्तागण श्री बलविन्द्र सिंह व श्री रामकुमार कस्वां

	हुक्म कार्यवाही विवरण
3.9.24	पत्रावली नियत निर्णय पर आज पेशी में ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता प्रार्थी बलविन्द्र सिंह दिनांक 27.03.2024 अनवानी रविन्द्र कुमार आदि बनाम भंवरी देवी आदि में एक पक्षीय सुना जाकर चक 15 एचएमएच खाता सं. 98/22 में दर्ज प्रार्थी रविन्द्र कुमार की भूमि 0.7975 है. खाता सं. 154/22 में प्रार्थिया सं. 2 स्नेह जैन के नाम दर्ज 0.7975 है. व खाता सं. 79/84 में अप्रार्थी सं. 1 भंवरी देवी के नाम दर्ज 0.949 है. भूमि पर मौका व रिकार्ड यथास्थिति का अस्थाई व्यादेश इस न्यायालय द्वारा जारी किया गया। दुसरे अनवानी प्रकरण जगनदीप बनाम रविन्द्र आदि मु.न. 132/2024 में अधिवक्ता प्रार्थी जगनदीप की ओर से श्री रामकुमार कस्वां ने दिनांक 22.05.2024 को प्रार्थना पत्र पेश किया, प्रार्थी जगनदीप को एकपक्षीय सुना जाकर चक 15 एचएमएच खाता सं. 79/84 की 0.949 है. आराजी पर इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का निर्माण नहीं करने का स्थगनादेश जारी किया गया। उक्त दोनों अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. प्रार्थना पत्रों में विवादित भूमि व पक्षकार समान होने के कारण समेकित किया जाता है तथा पारीत आदेश दोनों प्रार्थना पत्रों पर प्रभावशील होगा। प्रार्थी अधिवक्ता श्री बलविन्द्र सिंह द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किए कि प्रार्थी सं. 1 रविन्द्र कुमार के नाम चक 15 एचएमएच में 0.7975 व प्रार्थी सं. 2 स्नेहा जैन के नाम इसी चक में 0.7975 है. भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है व इसी चक के प.न. 141/274 मु.न. 56 कि.न. 23/1, 24/2, 25/3, प.न. 141/275 मु.न. 62 कि.न. 3, 4, 5 प.न. 142/275 मु.न. 63 कि.न. 1, 2/2 तादादी 0.949 है. भूमि अप्रार्थिया सं. 1 भंवरी देवी के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। यह कि अप्रार्थीया संख्या– 1 भंवरी देवी के नाम से दर्ज प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–3 में वर्णित 0.949 हैक्टेयर भूमि में मौका पर मुख्य सड़क हनुमानगढ़ से टिब्बी व रेलवे लाईन हनुमानगढ़ से टिब्बी ऐलनाबाद निकली हुई है। अप्रार्थीया संख्या–1 भंवरी देवी के नाम केवल मात्र भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। मौका पर अप्रार्थीया संख्या–1 का कोई कब्जा काश्त नहीं है व मौका पर कोई खाली भूमि नहीं है। अप्रार्थीया संख्या–1 भंवरी देवी ने राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज होने का फायदा उठाते हुए जरिये बैयनामा दिनांक 19.03.2024 को प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–3 में वर्णित भूमि में से अप्रार्थी संख्या–2 जगनदीप को 0.3163 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या–3 सतपाल को 0.3164 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या–4 दीपक को 0.3163 हैक्टेयर भूमि विक्रय कर दी। आदि आदि कथन अपनी बहस में किए। अप्रार्थी सं. 2 ता 4 अधिवक्ता श्री रामकुमार कस्वां ने प्रार्थी पक्ष के तथ्यों पर एतराज करते हुए अपने संसोधित जवाब प्रार्थना के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किए कि प्रार्थना–पत्र की चरण सं. 2 में अंकित तथ्य कि प्रार्थीगण के नाम चक 15 एच.एम.एच. में खातेदारी भूमि है, हम अप्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं है। प्रार्थी स. 1 के नाम दर्ज 15 एच.एम.एच की 0.7975 हैक्टेयर व प्रार्थीया स्नेह जैन के नाम चक 15 एच. एम. एच. में 0.7975 हैक्टेयर कोई भी कृषि भूमि नहीं है। चरण संख्या 2 की मद क, ख में वर्णित कृषि भूमि नहीं है, बल्कि उक्त भूमि आवासीय कॉलोनी है, जिस पर कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। इसलिये प्रार्थीगण को श्रीमान् जी के न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। कि प्रार्थना–पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित भूमि अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी कृषि भूमि थी, जिसे जरिये पंजीकृत बैयनामें दिनांक 19.03.2024 को अप्रार्थी सं. 2 ता 4 ने अप्रार्थी सं. 1 को पूर्ण प्रतिफल देकर पंजीकृत करवाये है व भंवरी देवी की खातेदारी भूमि का कब्जा बैयनामों के रोज ही हम अप्रार्थीगण ने प्राप्त कर लिया है। यह कि प्रार्थना–पत्र की चरण सं. 4 में अंकित तथ्य कतई मिथ्या व निराधार अंकित होने से अस्वीकार है। हम अप्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 1 भवरी देवी के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की भूमि की पूर्ण पैमाईश करवाकर एवं राजस्व रिकॉर्ड तथा नक्शा आदि की जांच कर भूमि खरीद की है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि के दक्षिणी तरफ टिब्बी ऐलनाबाद रोड़ निकलती है व उसके आगे रेल्वे लाईन गुजरती है। प्रार्थीगण जिन्हाने अपनी कृषि भूमि को आवासीय कॉलोनी में कन्वर्जन करवा रखा है प्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि उसके वृद्ध होने का फायदा उठाकर अवैध कब्जा करने की फिराक में उक्त वाद बिना अधिकारिकता के प्रस्तुत किया है। प्रार्थी स 1 के नाम दर्ज भूमि पर वर्तमान में अप्रार्थी सं. 2 ता 4 का कब्जा है व प्रार्थी स. 2 ता 4 जरिये पंजीकृत बेयनामा दिनांक 19.03.2024 से इस भूमि के खातेदार काश्तकार है, जिसके विरूद्ध किसी भी प्रकार का वाद लाने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह कि प्रार्थना–पत्र की चरण सं. 9 में अंकित तथ्य भंवरी देवी के नाम चक 15 एच.एम.एच. में 0.949 हेक्टेयर भूमि दर्ज है, परन्तु मौका पर हनुमानगढ–टिब्बी सड़क हैं, हनुमानगढ़–ऐलनाबाद रेल्वे लाईन चल रही है, कतई मिथ्या एवं निराधार अंकित होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी सं. 1 भंवरी देवी के नाम दर्ज 0.949 हेक्टेयर का दक्षिणी सीव पर हनुमानगढ़–टिब्बी रोड़ चल रही है। प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. एक हिस्सा व कब्जाकारत की भूमि जो प्रार्थीगण की आवासीय कॉलोनी व हनुमानगढ़–टिबी रोड़ के बीच में स्थित है, को कब्जाने की नियत से उक्त बाद झूठा पर प्रस्तुत किया है व प्रार्थीगण का यह कथन कि. मौका पर

Waniyo
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

अप्रार्थी सं. 1 भंवरी देवी के कब्जाकाश्त में कोई भूमि नहीं है स्वीकार है क्योंकि बेयनामा दिनांक 19.03. 2024 से कब्जाकाश्त अप्रार्थी सं. 2 ता 4 के पास है, जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को पूर्ण रूप से बैयनामा की दिनांक से ही प्रार्थीगण की कोई कृषि भूमि नहीं है, जो वाद काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थीगण द्वारा हम अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है वह कतई चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण हम अप्रार्थीगण द्वारा जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 19.03.2024 द्वारा खरीदशुदा भूमि को अवैध कब्जा करने की नियत से उक्त वाद प्रस्तुत कर एकतरफा स्थगन प्राप्त किया है. प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर हम अप्रार्थीगण के पक्ष में है। हम अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण जिनकी कोई कृषि भूमि है ही नहीं तो उसमें नाजायज दखलन्दाजी का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि हम अप्रार्थीगण जरिये पंजीकृत बेयनामा से अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि के हकदार व खातेदार काश्तकार है, जिनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो जाये व अप्रार्थीगण दबाव में आकर अपनी खरीदशुदा भूमि प्रार्थीगण को ओने पोने दामों पर कॉलोनी बनाने हेतु बेच दें, यदि प्रार्थीगण अपने आशय में कामयाब होते है तो हम अप्रार्थीगण को न पूरा होने वाला नुकसान होगा। कथन किए कि प्रार्थना–पत्र श्रीमान जी के न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है, अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का नहीं है। क्योंकि प्रार्थीगण की भूमि आवासीय कन्वर्जन भूमि है, जिसके सम्बन्ध में श्रीमान् न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में न होने के कारण प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण खारिज योग्य है। इसलिए प्रार्थना पत्र धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम मय खर्चा खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभय पक्ष के अभिभाषकगण ही बहस पर मनन किया व दोनों पत्रावली एवं उसमें संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत जमाबंदी जिसमें प्रार्थी रविन्द्र व स्नेह जैन रिकोर्डेड खातेदार है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। दोनों प्रार्थना पत्रों में विवादित आराजी भंवरीदेवी के नाम दर्ज 0.949 है. रकबा है जो उभयपक्षों द्वारा पेश दस्तावेजों से साबित है। अप्रार्थी सं. 2 ता 4 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र की दफा 9 में अंकित किया गया है कि प्रार्थीगण को किसी अन्य खातेदार के खिलाफ अस्थाई निशेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में उपलब्ध उपचार/अनुतोष में भूमि का दुर्व्ययन (wasted), हानि (dameged), और अंतरित किए जाने (lienated) जैसी स्थिति न्यायालय को प्रतीत होती हो तो अन्य खातेदार के विरूद्ध स्थगन जारी किया जा सकता है। अनवानी प्रकरण रविन्द्र बनाम भंवरी में इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन दिनांक 27.03.2024 को माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के प्र.स. 100/2024 निर्णय दिनांक 14.05.2024 द्वारा संसोधित कर प्रार्थी रविन्द्र व स्नेह की हद तक अपास्त किया जा चुका है तथा भंवरी देवी के नाम विवादित आराजी 0.949 है. पर जारी स्थगन को यथावत रखा गया है, उक्त निर्णय दिनांक 14.5.2024 की अपील मानानीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रकरण स. निगरानी/टीए/3155/2024/हनुमानगढ अनवानी सतपाल व अन्य बनाम रविन्द्र आदि में माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31.05.2024 द्वारा राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय 14.05.2024 व इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.03.2024 को निरस्त कर प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया है कि उभय पक्ष को विधिसम्मत सुनते हुए एक माह के अंदर विधि अनुसार निर्णय पारीत किया जावे। अनवानी जगनदीप बनाम रविन्द्र आदि में अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थी बार बार पैमाइश करवाने हेतु निवेदन कर रहा है। न्यायालय आदेश की पालना में गठित कमेटी अनुसार पत्रावली मौजूद पेश दैनिक डायरी दिनांक 28.6.2024 जिसमें हल्का पटवारी, कनिष्ठ अभियंता पीडब्ल्यूडी, भू.अ.नि. कोहला व अन्य की कमेटी द्वारा प्रश्नगत भूमि का सीमाज्ञान करना चाहा, हल्का पटवारी द्वारा अपनी डायरी में अंकित किया गया है कि सीमाज्ञान प्रार्थी दीपक पुत्र बीरबल व जगनदीप पुत्र भागीरथ को बार बार सूचना दी गई लेकिन सीमाज्ञान करवाने हेतु मौके पर उपस्थित नहीं आ रहे है। इसलिए सीमाज्ञान नहीं हो सका है। इससे यह साबित होता है विवादित आराजी भंवरीदेवी के नाम दर्ज 0.949 है. रकबा ही है। न्यायालय के मत में उक्त विवादित आराजी 0.949 है. को स्थगन से मुक्त किया जाना उचित नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू को ध्यान में रखते हुए, व माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 31.05.2024 की अनुपालना में उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर दिया जाकर, उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अनवानी रविन्द्र आदि बनाम भंवरी देवी में जारी अस्थाई व्यादेश दिनांक 27.03.2024 को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 31.05. 2024 के अनुसरण में निरस्त किया जाता है व समेकित दुसरे अनवानी प्रकरण जगनदीप सिंह बनाम रविन्द्र आदि में जारी स्थगन दिनांक 22.05.2024 में भंवरी देवी के नाम दर्ज आराजी 0.949 है. में आंशिक संसोधित कर रिकॉर्ड यथास्थिति की हद तक, स्थगन ता–फैसला मूल वाद के, **CONFIRM** किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुना गया। दोनों पत्रावली नंबर से कम की जाकर संलग्न मूल वाद की जाती है।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ